

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) प्रतापगढ़(राज)


आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयध्यक्ष सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के पद पर टीएसपी क्षेत्र हेतु चयनित पृष्ठांकित अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक :- शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102/सी0भ0/पुअ-111/2018 दिनांक 28.08.21 एवं पत्र दिनांक 17.09.2021 द्वारा Only Counsling वाले आशार्थियों के नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाकर पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देशों की पालना में तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयध्यक्ष के पद पर पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श शिविर में संबधित आशार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतन मान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700रु प्रति माह/पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जाती है । राज्य सरकार के पत्र क्रमांक :-प 8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1) डी0ओ0पी0/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50 /- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धित जॉच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से 50/- रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक अथवा प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य या मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेज से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे।
6. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतद्विषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय/ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं, अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहते हुए की गई है।
7. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवम् आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जॉच आवश्यक रूप से कर लेवे।
8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटीपूर्ण, इनके जाली अथवा कुट रचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
9. इन कार्मिकों को परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते, महंगाई भत्ते, महंगाई वेतन, मकान किराया भत्ता, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे। परिविक्षाधीन अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि, की कटौतिया नियमानुसार नहीं होगी।

10. आशार्थी के परीक्षाणाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
लगातार-2
11. परीक्षाणाधीन अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञा दी जावेगी।
12. प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेशन अंशदान कटौती की जावेगी। इन्हे राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.06 के प्रावधानानुसार दिनांक 20.01.06 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों को चयनित वेतनमान देय नहीं होगा।
13. टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसार जारी किये होने पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे।
14. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उसको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे। कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
15. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक:-प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
16. संबंधित आशार्थी से विवाह के समय दहेज नहीं लिया जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30.09.2021 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवम् शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।


(वसुमित्र सोनी)

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

क्रमांक:- जिशिअमा/मु/प्रताप/संस्था/पुअ ग्रेड-111/2021/ 2829 दिनांक 20.9.21

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान शासन उप सचिव (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान शासन उप कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग उदयपुर।
8. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा प्रतापगढ़।
9. श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा
10. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि
11. संबंधित आशार्थी को पंजीकृत डाक द्वारा
12. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली


जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़







कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़


आदेश

क्रमांक- जिशिक्षा/मु/प्रताप/संस्था/पुअ/ग्रेड-111/2021/

2829

दिनांक 20.09.2021

S. NO.	APPNO	R.NO.	MERIT NO.	NAME	F.NAME	DOB	SEL_CAT	OWN_CAT	H_CAT	Gender	पदस्थापित विद्यालय	फोटो
1	201807001755	126447	9979	ANITA MEENA	NANA LAL	02-12-1985	ST	ST	—	Female	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AAD (224777), DHARIYAWAD (08331114601)	
2	201908490393	186780	793	BALMUKAND KUMAWAT	SHANKAR LAL KUMAWAT	18-06-1983	GEN	OBC	—	Male	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KARUNDA (224814), CHHOTI SADRI (08331209501)	
3	201806939980	174610	2240	ASHOK	CHHAGAN LAL	17-06-1998	SC	SC	—	Male	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KESHARIYAWAD (224762), DHARIYAWAD (08331108901)	
4	201908291875	186661	3840	RUGHANATH LAL MEENA	GAVARU LAL	07-03-1997	ST	ST	—	Male	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GANDHER NEAR BUS STAND POST GANDHER (224832), PRATAPGARH (08331308501)	
5	201806993420	178908	8074	MUKAM MUNIYA	JARDAN	05-07-1990	ST	ST	—	Male	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KUMI (217790), PRATAPGARH (08331373102)	
6	201908621259	178673	8167	MUKESH DODIYAR	SHANKAR LAL DODIYAR	20-12-1999	ST	ST	—	Male	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DALOT (217810), ARNOD (08331413601)	


 ज्योति सोनी
 जिला शिक्षा अधिकारी
 मुख्यालय माध्यमिक प्रतापगढ़